ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार

## अन्दर के पृष्ठों में...

पिंकी को मिला
जीने का सहारा
(पृष्ठ – 02)

स्वाबलंबी बनी ललिता
(पृष्ठ – 03)

मीरा दीदी
बनी आत्मनिर्भर
(पृष्ठ – 04)

सतत् जीविकोपार्जन योजना

# एक नई राह

माह – सितम्बर 2023 ।। अंक – 26

## सतत् जीविकोपार्जन योजना– शहरी क्षेत्रों में भी योजना का हो रहा विस्तार

बिहार सरकार द्वारा राज्य में सतत् जीविकोपार्जन योजना की शुरुआत वर्ष 5 अगस्त 2018 को की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य समुदायों के अत्यंत निर्धन परिवारों को जीविकोपार्जन के स्थायी साधन उपलब्ध कराते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई इस योजना के आशातीत परिणाम सामने आए हैं। इस योजना की बदौलत ऐसे हजारों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान आई है, जो पहले बेहद निराशा भरी जिंदगी जी रहे थे। सतत् जीविकोपार्जन योजना ने ऐसे परिवारों के जीवन में आशा का संचार किया है, उन्हें क्षमतावान बनाया है और जीविकोपार्जन गतिविधि से जोड़कर उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया है।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका द्वारा क्रियान्वित सतत् जीविकोपार्जन योजना की सफलता को देखते हुए अब इसका विस्तार राज्य के शहरी क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले ऐसे परिवार, जो पूर्व में ताड़ी या देशी शराब बनाने और बेचने में संलिप्त थे, को चिन्हित करने के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य समुदाय के अत्यंत निर्धन परिवारों की भी पहचान की जा रही है। ऐसे परिवार, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है एवं इनके घर में कमाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, की पहचान कर उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा जा रहा है। ऐसे लक्षित परिवारों को योजना अन्तर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए जीविकोपार्जन गतिविधियों जैसे– किराना दुकान, श्रृंगार दुकान, अंडा–सब्जी या फल की दुकान, बकरी पालन, गाय पालन आदि से जोड़ा जा रहा है।

**लक्षित परिवारों की पहचान :** योजना अन्तर्गत लक्षित परिवारों के पहचान करने हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। इसके तहत लाभुकों के चयन हेतु शहर हर वार्ड के लिए चार सदस्यीय एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) संपोषित सामुदायिक संगठनों के 2 सदस्य एवं जीविका संपोषित सामुदायिक संगठनों के 2 सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। टीम के द्वारा शहरी क्षेत्रों में हर वार्ड का सर्वे किया गया एवं ऐसे लाभुक परिवारों की पहचान की गई। इसके लिए विशेष चयन अभियान चलाया गया। लक्षित परिवारों के चयन हेतु निम्न चरणबद्ध प्रकिया अपनाई गई है–

**पहला चरण–** उन्मुखीकरण : शहरी क्षेत्रों में लक्षित परिवारों के चयन हेतु अभियान के पहले चरण में नामित जीविका सामुदायिक संगठनों की विशेष बैठक का आयोजन कर योजना एवं चयन प्रक्रिया के बारे में उन्मुखीकरण किया गया। इसमें एन.यू.एल.एम. संपोषित सामुदायिक संगठनों के सदस्य अनिवार्य रूप से सम्मिलित हुए।

**दूसरा चरण–** गृह भ्रमण : गठित चार सदस्यीय सर्वे टीम के द्वारा शहरी क्षेत्रों में गृह भ्रमण करते हुए योजना के मापदंडों के आधार पर परिवारों की पहचान की गई। इसके बाद चिन्हित परिवारों को सूचीबद्ध किया गया।

**तीसरा चरण–** अनुमोदन : संबंधित सामुदायिक संगठनों की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सर्वे टीम द्वारा योजना हेतु चिन्हित परिवारों की सूची प्रस्तुत की गई। सदस्यों द्वारा इस पर सम्यक विचार विमर्श के उपरांत एवं इसकी सत्यता की जांच करने के बाद लाभार्थी परिवारों की सूची का अनुमोदन किया गया। इसके बाद शहरी क्षेत्रों में लाभार्थी परिवारों की अंतिम सूची तैयार की गई है।

इस चयन प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन हो एवं योजना अनुरूप योग्य परिवारों की पहचान की जा सके, इसके लिए जीविका कर्मियों द्वारा नियमित रूप से अनुश्रवण किया गया। योजनान्तर्गत चिन्हित परिवारों को अब उनकी रूचि, हुनर और उनके पास उपलब्ध संसाधनों का आंकलन करते हुए उन्हें जीविकोपार्जन गतिविधि से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के बाद अब शहरी क्षेत्रों में भी सतत् जीविकोपार्जन योजना के माध्यम से गरीब परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाने की पहल आगे बढ़ रही है।

# पिंकी को मिला जीने का सहारा

मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड अन्तर्गत जजहट सबैला पंचायत की रहने वाली पिंकी देवी की स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। उनके पति पूर्व में दारू–ताड़ी का व्यवसाय करते थे। वर्ष 2016 में अचानक उनके सीने में दर्द होने के कारण उनके पति की मृत्यु हो गयी। पति की अचानक मौत ने पिंकी देवी और उसके परिवार को बेसहारा कर दिया। चार छोटे–छोटे बच्चों के साथ जीवन–यापन करना बेहद मुश्किल था। पिंकी देवी मायके लौट आई और वही रहने लगी। लेकिन उनके माता–पिता भी बूढ़े थे, इसलिए मायके में रहना भी उन्हें ठीक नहीं लगता था। परंतु रोजी–रोटी का कोई साधन नहीं रहने से वह बेबस थी।

इसी बीच, पिंकी देवी की दयनीय स्थिति को देखते हुए वर्ष 2019 में अमानत जीविका महिला ग्राम संगठन के द्वारा इनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लिए किया गया। योजना से जुड़ाव के बाद पिंकी देवी का क्षमतावर्द्धन किया गया और उन्हें जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने की पहल की गई। पिंकी ने श्रृंगार दुकान शुरू करने का फैसला किया। अमानत ग्राम संगठन ने इसकी स्वीकृति प्रदान करते हुए योजना के अन्तर्गत इन्हें विशेष निवेश निधि के तहत 10,000 रुपये उपलब्ध कराए। इस राशि से पिंकी ने अपने उद्यम हेतु आधारभूत ढांचे का निर्माण किया। तदुपरांत ग्राम संगठन के द्वारा इन्हें जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत 20,000 रुपये की परिसंपत्ति उपलब्ध कराई गई। शुरुआती दौर में इनके उद्यम की पूंजी पर असर नहीं पड़े, इसके लिए इन्हें सात माह तक प्रतिमाह एक–एक हजार रुपये की जीविकोपार्जन अंतराल सहायता राशि प्रदान की गई। साथ ही उद्यम के संचालन में सहयोग प्रदान करने हेतु एमआरपी द्वारा इन्हें निरंतर मदद की गई। इसके बाद पिंकी ने अपनी मेहनत एवं लगन से इस उद्यम को काफी आगे बढ़ाया है। इन्हें जीविकोपार्जन निवेश निधि की दूसरी किश्त एवं तीसरी किश्त के रूप में क्रमशः 19800 रूपये एवं 13500 रुपये प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में पिंकी देवी श्रृंगार दुकान के साथ–साथ बकरी पालन एवं कच्चा नारियल बेचकर अपना जीविकोपार्जन कर रहीं है। इस कार्य से उन्हें प्रतिमाह औसतन 9000 से 12000 रुपये तक की आय हो जाती है। पिंकी देवी का परिवार अब तरक्की की राह पर अग्रसर है।

# सविता ने लहराया सफलता का परचम

सविता दीदी खगड़िया जिला के चौथम प्रखंड की रहने वाली है। इनके पति की अचानक तबियत ख़राब हो जाने से मृत्यु हो गई थी। तब से सविता के जीवन में दुखों ने डेरा डाल दिया था। अपनी दो बेटियों का पालन–पोषण उन्हें अकेले करना पड़ रहा था। उनके घर की स्थिति बेहद ख़राब होती जा रही थी। ऐसी स्थिति को देखते हुए वर्ष 2019 में सविता देवी का चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लिए किया गया।

योजना से जुड़ाव के उपरांत महिमा जीविका महिला ग्राम सगठन के द्वारा सविता दीदी को जीविकोपार्जन हेतु बकरियां खरीद कर दी गई। बकरी पालन से उन्हें थोड़ी आय हुई। इसके बाद उन्होंने बचत के पैसे से एक गाय खरीदी। गाय पालन से वह रोज दूध बेचने लगी है, जिससे उनके घर अब नियमित रूप से आय होने लगी है। इससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। गाय और बकरी पालन से हुई आमदनी से दीदी ने एक किरान दुकान भी खोल लिया है। इससे उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है। जीविकोपार्जन के इन साधनों से वह अपना घर चलाने और बच्चों का परवरिश करने में सक्षम हो चुकी हैं।

पैसे बचत कर दीदी ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह कर दिया है। वहीं दूसरी बेटी को वह अभी पढ़ा रही है। दीदी अपनी मेहनत एवं लगन से अपने रोजगार को नयी ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास कर रही है। सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने के बाद दीदी को विधवा पेंशन, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, नल–जल आदि सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। सतत् जीविकोपार्जन योजना ने सविता दीदी को स्वरोजगार उपलब्ध कराते हुए उनके घर की स्थिति में सुधार लाने और जीवन को बेहतर बनाने के साथ–साथ उन्हें सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बकरी पालन से गाय पालन तक और फिर एक सफल किराना व्यवसायी के रूप में उनका यह सफर उनके दृढ़ संकल्प और लगन को दर्शाता है।

# योजना के सहारे रिंकू देवी ने बदली अपनी जिंदगी

औरंगाबाद जिला के रफीगंज प्रखंड के चौबरा निवासी रिंकू देवी की जिंदगी सतत् जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने के बाद पूरी तरह से बदल गई है। एक समय रिंकू देवी आर्थिक तंगी से परेशान रहती थी। लेकिन सतत् जीविकोपार्जन योजना ने उन्हें किराना व्यवसाय से जोड़कर उनकी जिंदगी में रोशनी लाने का काम किया है। उनके पति अवधेश कुमार की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। धीरे–धीरे बीमारी बढ़ती गई और उनकी हालत गंभीर होती चली गई। इस बीमारी ने परिवार की आर्थिक हालत तंग कर दी। यहां तक कि खाने के लिए दो वक्त की रोटी का भी इंतजाम करना मुश्किल हो गया था। इलाज पर काफी पैसा खर्च करने के बावजूद 17 दिसंबर 2019 को इनके पति का देहांत हो गया। इस घटना से इनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा।

रिंकू देवी के परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में इनका चयन किया गया। रिंकू देवी को सतत् जीविकोपार्जन योजना के विशेष निवेश निधि के रूप में दस हजार रुपये प्राप्त हुए। इससे रिंकू देवी ने किराना दुकान खोला। इसके अलावा ग्राम संगठन द्वारा उन्हें बीस हजार रुपये मूल्य के किराने की सामग्री उपलब्ध कराई गई। गांव की सभी जीविका दीदियों का परिवार रिंकू देवी के दुकान से किराना सामग्री खरीदता है। इससे उनकी दुकान की अच्छी बिक्री होने लगी है।

रिंकू देवी की दुकान से प्रतिदिन 1500 से 2000 रुपए की बिक्री हो जाती है, जिससे इन्हें रोजाना 200 से 250 रुपये का मुनाफा हो जाता है। इस आमदनी से अब रिंकू देवी का परिवार तरक्की की राह पर अग्रसर है एवं वह काफी खुश रहती है। वह अपने दोनों लड़के को अच्छे से पढ़ा रही हैं। रिंकू देवी कहती है कि सतत् जीविकोपार्जन योजना हमारे जीवन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

# स्वावलंबी बनी ललिता

ललिता आज महिला सशक्तिकरण एवं स्वावलंवन की आवाज़ बुलंद कर रही है। हौसले की उड़ान की ये कहानी वैशाली जिला के जन्दाहा प्रखंड के भान बोरहा गाँव की है। ललिता के पति ट्रैक्टर ड्राइवर थे। वर्ष 2006 में एक दुर्घटना में इनके पति का निधन हो गया था। इसके बाद ललिता पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। पति की मौत के बाद अपने दो बेटों और एक बेटी का लालन–पालन किसी चुनौती से कम नहीं था। दिनों–दिन स्थिति ऐसी हो गयी कि घर में खाने के भी लाले पड़ने लगे थे।

वर्ष 2019 में ललिता देवी की दयनीय स्थिति को देखते हुए सहेली जीविका महिला ग्राम संगठन द्वारा इनका चयन सतत् जीविकोपार्जन योजना के लाभार्थी के रूप में किया गया। सर्वप्रथम ललिता को उनकी इच्छानुसार श्रृंगार एवं किराना दुकान खोलने हेतु सतत् जीविकोपार्जन योजना अन्तर्गत जीविकोपार्जन निवेश निधि के तहत 20,000 रुपए और विशेष निवेध निधि के तहत 10,000 रुपये प्रदान किए गए। इससे मार्च 2020 में ललिता ने अपना श्रृंगार एवं किराना दुकान शुरू किया। धीरे–धीरे दुकान में बिक्री होने लगी और इससे उन्हें नियमित आमदनी होने लगी। इससे परिवार की स्थिति में सुधार हुआ। दुकान की आमदनी से ललिता ने न केवल अपने परिवार का पालन–पोषण किया बल्कि उन्होंने अपनी दुकान में आवश्यकतानुसार निवेश भी किया। इससे दुकान की बिक्री धीरे–धीरे बढ़ने लगी। अब वह हर महीने औसतन 6000–7000 रुपये की आय अर्जित कर लेती है। ललिता अब दो बकरी खरीदकर पाल रही है। धीरे–धीरे ललिता की दुकान की पूंजी में डेढ़ गुना बढ़ोतरी हो गयी है। उनके बैंक खाता में बचत की राशि भी लगभग 10,000 रूपये जमा हो गया है। उन्होंने अपना बीमा भी करवा लिया है। उन्हें सतत् जीविकोपार्जन योजना की द्वितीय किश्त की 20,000 रुपये की राशि भी मिल गया है, जिससे वह अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा रही है।

# मीरा दीदी बनी आत्मनिर्भर

मीरा देवी की शादी हरि नन्दलाल चौधरी से वर्ष 2002 में भोजपुर जिला के गढ़नी प्रखंड में हुई थी। दीदी का परिवार ताड़ी के संग्रहण और विक्रय से जुड़ा हुआ था। लेकिन मीरा दीदी को ताड़ी से जुड़ा काम बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अपने पति को कोई अन्य व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करती रहती थी। लेकिन उसके पति यह कह कर उसकी बात टाल दिया करते थे कि हमारा परिवार परंपरागत रूप से इस काम से जुड़ा रहा है। ऐसे में हमसे अब कोई दूसरा काम नहीं हो पाएगा। एक दिन मीरा देवी के पति ताड़ के पेड़ से ताड़ी उतारते वक्त दुर्घटनावश पेड़ से सीधे नीचे गिर गए। इससे उनके सिर में गंभीर चोट लगी और काफी खून बहने लगा। उन्हें तुरंत इलाज के लिए शहर ले जाया गया। इलाज में काफी पैसा खर्च होने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। पति की मृत्यु से घर में कोहरम मच गया। अब घर में कामने वाला कोई नहीं था। इससे मीरा दीदी के घर की स्थिति दिनों–दिन खराब होती गई। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाने की नौबत आ गई। दूसरे के खेत में काम कर एवं सिलाई सेंटर पर कपड़ों की सिलाई करते हुए वह अपने परिवार का किसी तरह गुजारा कर रही थी।

इसी बीच, वर्ष2019 में मीरा देवी की दयनीय स्थिति को देखते हुए इन्हें शक्ति जीविका महिला ग्राम संगठन द्वारा सतत् जीविकोपार्जन योजना हेतु चयनित किया गया। इन्हें सिलाई और कढ़ाई का काम पहले से आता था साथ ही श्रृंगार का भी ज्ञान था। ऐसे में मीरा दीदी को ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। साथ ही वह सिलाई का काम भी करने लगी। वह अपनी दुकान में सिलाई और ब्यूटी पार्लर का काम करने के साथ–साथ प्रशिक्षण केंद्र भी चलाने लगी। वह यहाँ ब्यूटी पार्लर और सिलाई–कढ़ाई का प्रशिक्षण भी देने लगी। इस केंद्र में वह 1200 रुपये में 6 महीने तक सिलाई का प्रशिक्षण देती है। अभी वर्तमान में उनके पास 40 महिलाएँ सिलाई का प्रशिक्षण ले रही हैं। मीरा दीदी बताती है कि अब तक 250 से ज्यादा लोगों को सिलाई का प्रशिक्षण दे चुकी हैं।

वहीं ब्यूटी पार्लर हेतु दीदी एक प्रशिक्षणार्थी से 8000 रुपये प्रशिक्षण शुल्क लेती है। अभी वर्तमान में इस केंद्र में 4 लड़कियां ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण ले रही हैं। इस केंद्र में अब तक 40 लड़कियां ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण ले चुकी है। वर्तमान समय में इस व्यवसाय से इन्हें प्रतिमाह 10 से 12 हजार रुपये की आमदनी हो जाती है। अपने इस व्यवसाय से मीरा दीदी ने तरक्की की राह पकड़ ली है। आज उनके बैंक खाते में 4–5 लाख रुपए सावधि जमा है। उन्होंने दुकान की परिसंपत्ति बढ़ाकर 8–9 लाख रुपये कर ली है।

वैश्विक महामारी कोरोना के समय दीदी के व्यवसाय पर काफी बुरा असर पड़ा था। महामारी के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना बंद था, लेकिन दीदी ने हार नहीं मानी और अपनी इच्छा शक्ति से अपने परिवार और व्यापार दोनों को संभाला। दीदी अपने बच्चों को पढ़ा कर उनका भविष्य संवारना चाहती है। साथ ही अपने इस प्रशिक्षण केन्द्र को और आगे बढ़ाना चाहती है।

| वर्ष | वार्षिक आमदनी (रुपये में) | संपत्ति (रुपये में) |
|---|---|---|
| 2019 | 47500 | 23005 |
| 2020 | 55456 | 36881 |
| 2021 | 90316 | 64033 |
| 2022 | 123635 | 2,27,426 |
| 2023 | 76040 | 2,91,520 |

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी – कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, बेगूसराय
- श्री विकास राव – प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, नवादा
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, लखीसराय
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार
- श्री मनीष कुमार – प्रखंड परियोजना प्रबंधक